

कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्राशि/पविप/प्राशिपूप/2017/75

दिनांक : 12-11-2018

प्रधानाचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त

विषय:- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा-2018 में 16 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्यात्मक सूचना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभिन्न जिलों के संस्था प्रधानों से दूरभाष से प्राप्त जानकारी में 16 वर्ष से अधिक आयु वाले अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन पत्र भरवाने के दिशानिर्देश चाहे गये हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अध्याय-2 की धारा-4 के तहत विद्यालय में बच्चों को प्रवेश उम्र के अनुसार मिलेगा।

उपचारात्मक शिक्षण के उपरान्त 16 वर्ष की आयु तक प्रारम्भिक शिक्षा सम्पूर्ण करने का अधिकार है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे संस्था प्रधानों को जिन्होंने RTE Act, 2009 एकट का उल्लंघन किया है, को कारण बताओ नोटिस जारी कर वांछित अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

उक्त क्रम में जिले में अध्ययनरत कक्षा-8 के 16 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्यात्मक सूचना निम्न सारणी में आगामी दो दिवस में भेजना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	16-18 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या	18 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी की संख्या

www.rajteachers.com

पंजीयक

शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,
राजस्थान, बीकानेर